भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2596

उत्तर देने की तारीख : 16.03.2023

पीएमजेवीके का आकलन

2596. श्री राहुल गांधी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) और पूर्ववर्ती बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल से पीएमजेवीके के कार्यान्वयन हेतु 15वें वित्त आयोग के लिए विस्तृत सभावी योजना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो केरल के लिए विशिष्ट लक्ष्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) परियोजना के चयन और अनुमोदन की प्रक्रिया में सुधार हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल राज्य स्तर समिति द्वारा अनुशंसित की गई परियोजनाओं का जिला-बार ब्यौरा क्या है; और

(छ) पीएमजेवीके के अंतर्गत वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ण और लंबित परियोजनाओं तथा अभी तक शुरू नहीं की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यकम (PMJVK) का पुनर्गठन किया गया और मई, 2018 से प्रभावी रूप से लागू किया गया, ताकि देश के 1300 अभिज्ञात क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में अंतर, यदि कोई हो, को कम किया जा सके। वर्ष 2020-2021 में नीति आयोग द्वारा आयोजित पीएमजेवीके के एक मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि यह योजना देश के अभिज्ञात क्षेत्रों में विकास की कमी को दूर करने में सहायक थी और इसने अतिरिक्त कक्षाएं, नए छात्रावास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), पॉलिटेक्निक, कौशल प्रशिक्षण केंद्र आदि प्रदान कर स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन में योगदान दिया। वर्ष 2018-19 में महिला केंद्रित परियोजनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते कार्यक्रम के पुनर्गठन से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नीति आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि योजना का दायरा बढ़ाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचें।

मंत्रालय द्वारा योजना का जिलावार प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) 15वें वित्त आयोग के दौरान पीएमजेवीके योजना के कार्यान्वयन के लिए संभावित योजना केरल राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) अभिज्ञात क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की मांग के आधार पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति (SLC) द्वारा पीएमजेवीके के तहत प्रस्तावों की सिफारिश की जाती है। एसएलसी द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद मंत्रालय में पीएमजेवीके की अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा विचार कर अनुमोदित किया जाता है। पीएमजेवीके के तहत परियोजनाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जाती हैं। पीएमजेवीके के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दीर्घावधि योजना और वार्षिक निर्माण पर विस्तृत दिशा-निर्देश, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और प्राथमिकता वाले क्षेत्र आदि को पीएमजेवीके के संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, एसएलसी को अल्पसंख्यक क्षेत्र में होने वाली परियोजना के स्थान को प्रमाणित करना आवश्यक है और सुनिश्चित करना है कि केंद्र या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की किसी भी अन्य योजनाओं के साथ प्रस्तावित परियोजना का कोई दोहराव नहीं है और यह भी सुनिश्चित करना है कि आवर्ती व्यय/रखरखाव लागत संबंधित विभाग द्वारा वहन की जाएगी, और यह कि बुनियादी ढांचे के पूरा होने पर इसे तुरंत कार्यात्मक बना दिया जाएगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक वित्तीय वर्ष में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करनी होती है। राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज़ किया गया है और पीएमजेवीके पोर्टल को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समेकित वार्षिक योजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अपग्रेड किया गया है।

(च) केरल राज्य के लिए अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा विचार की गई और अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण अधिकार-प्राप्त समिति के कार्यवृत्त में दिया गया है जिसे मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर देखा जा सकता है।

(छ) केरल के वायनाड जिले में पीएमजेवीके के तहत 297 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं/इकाइयों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी के अनुसार 295 परियोजनाएं/इकाइयां पूर्ण हो चुकी हैं तथा 2 परियोजनाएं/इकाइयां प्रारंभ नहीं हुई हैं।

******